ई–मेल / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 428 / आठ–2–2017–247सा0 / 08टी0सी0–1

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 10 अप्रैल 2017

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत अधूरे आवासों को पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा0 / 08 दिनांक 02, जून, 2008, द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी थी। योजना की विस्तृत गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08–153सा / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09–247सा0 / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 शासनादेश संख्या–972 / आठ–2–11–247सा / 08टी.सी. दिनांक 9–4–2011 तथाशासनादेश संख्या–1139 / आठ–2–11–3एच0बी0(25) / 11 दिनांक 16–4–2011 द्वारा निर्गत की गयी थी। योजना के प्रथम चरण के आवासीय परिसरों के अतिरिक्त आन्तरिक विकास कार्यों एवं द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण तथा पेय जलापूर्ति के लिए अवर जलाशय के निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यकता की समस्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार जनपदों में काफी संख्या में अधूरे / अर्धनिर्मित आवास हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1088 / आठ–2–2012–247सा0 / 08टी0सी0–1 दिनांक 28, मई, 2012 के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तृतीय चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि वर्तमान में कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी काफी संख्या में योजनान्तर्गत आवास अधूरे / अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है।

3– अतएव प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनान्तर्गत जिन जनपदों में धनराशि उपलब्ध हैं वहाँ उपलब्ध धनराशि से अधूरे कार्यों को पूर्ण करायें, जहाँ धनराशि उपलब्ध नहीं है अथवा कम है, वहाँ शासनादेश संख्या–972 / आठ–2– 2011–247सा0 / 08 टी0सी0–1 दिनांक

09–04–2011 के प्रस्तर–9 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय के साथ–साथ विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की 02 प्रतिशत की धनराशि से अधूरे कार्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पात्र लाभार्थियों को एक माह के अन्दर आवास आवंटित कराकर शासन/निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या– (1)/आठ–2–2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– स्टाफ आफिसर/विशेष सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– **प्रमुख सचिव/सचिव**, लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग,उ 0प्र0शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
9– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
11– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
12– **निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ** को उक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे सभी सम्बन्धित को फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें तथा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एल0मौर्य)
अनु सचिव।